

Government Pataleshwar College Masturi District- Bilaspur (C.G) -495551

7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the year.

Describe gender equity & sensitization in curricular and co-curricular activities, facilities for women on campus etc., within 500 words

Provide Web link to:

- Annual gender sensitization action plan
- Specific facilities provided for women in terms of:
- a) Safety and security: providing students a safe environment is a key component in the institution. Maximum numbers of students belong to nearby villages covering area of 15kms, for their safety local Masturithana officials phone numbers have been provided to the students. Under the mentor mentee scheme each class is undertaken by a teacher to discuss student's problem. Women harassment cell is formed for girl's convenience. Luckily there have been no cases of violence, harassment, theft; kidnapping and road accidents etc. Surveillance cameras are also patrolling corridors, classrooms, departments and outer campus. During Exams, elections, or mass activities patrolling security is done by police personal. High boundary walls and fencing is heightened for campus safety. A local personal has been appointed by college administration to act as security gourd as a localite has more knowledge of temper of local residents. He checks people at entry and exit point. Identity cards are provided to staff and students without which their entry is hindered; actions are taken by the disciplinary committee of the college. Buddy system is applicable for girls and Out of bounds area is clearly elucidated.
- b) Counseling: In the very first year of admission general counseling and information is provided to students through orientation program, which is strictly followed throughout their academia and its proper execution is governed by Discipline committee. Help desk helps students in selection of elective subjects. Women harassment and safetycell provide all sorts of counseling to needy girls in emotional, interpersonal relationand health issues. If required their guardians are also called upon and counseled. Career counseling and placement cell organizes seminars and group talks on career counseling and decision making.

- c) Common Rooms: Girl's common room is situated in the mid of college in the ground floor for their rest, recreation and informal discussions in free times. The room is furnished withfacilities like......etc. Newspaper, journals, magazines, books on morals and ethics etc are available for leisure reading. Contact numbers of women cell, helpline number and police station numbers are displayed in case of emergency. Indoor games like chess and carom can be issued by the sports department. A lady peon is deployed for maintenance and surveillance.
- d) Day care center for young children: Not available.
- e) Any other relevant information: Girls constitute more than 50% strength in college. It is ensured that they receive all the facilities and participation in college like library books, sports, gym, cultural & literary activities, scholarship, NCC& NSS& Red cross participation, placements within college, seminars, projected work, and research work. They are participating in university and state level and interstate level activities like sports, NCC campsEBSB. Celebration of constitution day makes them aware of articles of constitution and about women rights. Anti-ragging committee, student grievance & redressalcell are made to solve issues related to them giving them justice. Anandmela being organized in college teach them entrepreneurship skills. Code of conduct to be followed during college is displayed in website and brochure. Gender audit cell is also acting in college.

7. नारियाँ एवं अल्पसंख्यक [Women and Minorities] भारत में नारियाँ : भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति/84, भारतीय नारी का भविष्य/87, हिन्दू एवं मुस्लिम नारी की प्रस्थिति की तुलना/87, नारियों की समस्याएँ/87, नारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव/94, नारी के कल्याण के बारे में सरकारी नीति/95, भारत में अल्पसंख्यक : अल्पसंख्यक का अर्थ/98, भारत में अल्पसंख्यक/98, भारतीय समाज में अल्प- संख्यकों की समस्याएँ/105, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास/107
12. भारतीय समाज में घरेलू हिंसा 175-184 [Domestic Violence in Indian Society] 175-184 60. घरेलू हिंसा का अर्थ/175, भारत में घरेलू हिंसा का परिमाण/176, भारत में घरेलू हिंसा के स्वरूप/177, घरेलू हिंसा के कारण/180, घरेलू हिंसा के परिणाम अथवा प्रभाव/181, घरेलू हिंसा का उपचार/182
 इकाई-4 : पारिवारिक समस्याएँ : दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अन्तर और अन्तरा पीढ़ी संघर्ष, वृद्धों की समस्या। Family Problems : Dowry, Domestic Violence, Divorce, Intra-intergenerational Conflict, Problem of Elderly. इकाई-5 : सामाजिक समस्याएँ : स्थानापन्न मातृत्व, लिव-इन रिलेशनशिप, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, युवा असन्तोष। Social Problems : Surrogate Motherhood, Live-in Relationship, Regionalism, Communalism, Corruption, Youth Unrest.



महिला उत्पीड़न / सुरक्षा समिति प्रतिवेदन सत्र 2016–17

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा समिति द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना प्रभारी /एस.पी बिलासपुर तथा महिला उत्पीड़न समिति के संयोजक के नम्बर फ्लेक्स के द्वारा प्रचारित किया जाता है।समिति भी लगातार निगरानी करती है।छात्राओं को भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अन्य अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल समिति को दे। किन्तु इस सत्र में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न संबंधी घटना महाविद्यालय में नही हुई ।

संयोजक डॉ. दुर्गा बाजपेयी महिला उत्पीड़न समिति शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

महिला उत्पीड़न / सुरक्षा समिति प्रतिवेदन सत्र 2017–18

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा समिति द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना प्रभारी ⁄एस.पी बिलासपुर तथा महिला उत्पीड़न समिति के संयोजक के नम्बर फ्लेक्स के द्वारा प्रचारित किया जाता है।समिति भी लगातार निगरानी करती है।छात्राओं को भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अन्य अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल समिति को दे। किन्तु इस सत्र में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न संबंधी घटना महाविद्यालय में नही हुई ।

संयोजक डॉ. दुर्गा बाजपेयी महिला उत्पीड़न समिति शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

mmlh

प्राचार्य शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपूर छ.ग.

महिला उत्पीड़न / सुरक्षा समिति प्रतिवेदन सत्र 2018–19

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा समिति द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना प्रभारी /एस.पी बिलासपुर तथा महिला उत्पीड़न समिति के संयोजक के नम्बर फ्लेक्स के द्वारा प्रचारित किया जाता है।समिति भी लगातार निगरानी करती है।छात्राओं को भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अन्य अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल समिति को दे। किन्तु इस सत्र में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न संबंधी घटना महाविद्यालय में नही हुई ।

mm

प्राचार्य शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

संयोजक डॉ. दुर्गा बाजपेयी महिला उत्पीड़न समिति शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

महिला उत्पीड़न / सुरक्षा समिति प्रतिवेदन सत्र 2019–20

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा समिति द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना प्रभारी ⁄एस.पी बिलासपुर तथा महिला उत्पीड़न समिति के संयोजक के नम्बर फ्लेक्स के द्वारा प्रचारित किया जाता है।समिति भी लगातार निगरानी करती है।छात्राओं को भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अन्य अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल समिति को दे। किन्तु इस सत्र में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न संबंधी घटना महाविद्यालय में नही हुई ।

mulh

प्राचार्य शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

संयोजक डॉ. दुर्गा बाजपेयी महिला उत्पीड़न समिति शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

महिला उत्पीड़न / सुरक्षा समिति प्रतिवेदन सन्र 2020–21

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा समिति द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना प्रभारी '/एस.पी बिलासपुर तथा महिला उत्पीड़न समिति के संयोजक के नम्बर फ्लेक्स के द्वारा प्रचारित किया जाता है।समिति भी लगातार निगरानी करती है।छात्राओं को भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अन्य अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी तत्काल समिति को दे। किन्तु इस सत्र में किसी भी प्रकार से उत्पीड़न संबंधी घटना महाविद्यालय में नही हुई ।

PRINCIPAL

Govt. Pataloshwar College Masturi, Distt.-Bitaspur (C.G.)

संयोजक डॉ. दुर्गा बाजपेयी महिला उत्पीड़न समिति शास.पाता. महाविद्यालय मस्तूरी जिला–बिलासपुर छ.ग.

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला-बिलासपुर छ.ग. अनुशासन समिति द्वारा किये जाने वाले प्रयास

महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अनुशासन एवं एण्टी रैंगिंग समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार , थाना प्रभारी, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ छात्र पालक , पत्रकार , एन.जी.ओ. प्रतिनिधि आदि को भी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है।

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुशासन समिति के सदस्यों द्वारा निम्न प्रयास किये गये है।

- महाविद्यालय में प्रवेश के समय मानव—संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार छात्र ∕ छात्राओं सें एण्टी रैंगिंग शपथ पत्र ऑनलाईन भरवाया जाता है।
- 2. महाविद्यालय के अनुशासन समिति के सदस्य महाविद्यालय परिसर में निरीक्षण करते है।
- छात्र/छात्राओं को लगभग 09 वर्ष से गले में पहनने वाला परिचय पत्र जारी किया जाता है, ताकि नियमित छात्र/छात्राओं की पहचान हो।
- 4. प्रवेश द्वार में ही छात्र / छात्राओं के परिचय पत्र की जाँच की जाती है ताकि बाहर के छात्र / छात्राओं का प्रवेश रोका जा सकें।
- 5. परिसर में अनुशासन बनाये रखने हेतु छात्र / छात्राओं के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी आचरण संहिता तथा पोस्टर्स भी लगाये गये है ताकि छात्र / छात्राओं को सख्त निर्देश की जानकारी मिल सकें।
- 6. महाविद्यालय में थाना, प्रभारी, एस.पी. बिलासपुर तथा अनुशासन समिति के सदस्यों के फोन नंबर भी दीवारों पर लगाये गये है तथा छात्र/छात्राओं को निर्देश दिये गये है कि आपात स्थिति में आप इन नंबरों पर संपर्क करें।
- 7. महाविद्यालय के मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का नंबर एवं पता रजिस्टर में नोट कराया जाता है। इसकी व्यवस्था मुख्य द्वार पर की गई है।

डॉ. (श्रीमंती) दुगी बाजपेयी

संयोजक अनुशासन एवं एण्टी रैगिंग समिति शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी प्राचार्य शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

प्रतिवेदन अनुवासन - सामात

सत्र 2016 - 17

महाविद्यालय में दिनांक 16 / 07 / 2016 को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी की अध्यक्षता में दोपहर 1:00 बजे प्राध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सत्र 2016–17 हेतु अनुशासन एवं एण्टी रैगिंग समिति एवं स्कवाड का गठन किया गया ।

जिसका विवरण निम्नानुसार है :--

एण्टी रैंगिग समिति के सदस्य :--

25. सिविल प्रशासन के प्रतिनिधि :	तहसीलदार
26. पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि :	थाना प्रभारी
27. मीडिया प्रतिनिधि :—	1. श्री संतोष ठाकुर (संवाददाता दैनिक भास्कर)
	2. श्रीमती सुनीता मिश्रा (संपादिका मस्तूरी टाईम्स)
28. एन०जी०ओ० प्रतिनिधि :—	श्री संजय गुप्ता
29. संकाय के प्रतिनिधि :	1. एल.के.निराला (विज्ञान संकाय)
	2. श्री बी.आर.खुटें (कला संकाय)
	3. श्री डी.के. सिंह (वाणिज्य संकाय)
30. पालक प्रतिनिधि :	1. श्री संतोष गुप्ता
	2. श्री तिहारू लाल
31. वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि :	1. कु माधुरी गुप्ता (एम.ए.पूर्व)
	2. कु. प्रीति साहू (एम.ए.अंतिम)
32. नवीन छात्र प्रतिनिधि :	1. कु. भानमती (बी.ए. प्रथम वर्ष)
	2. श्री राकेश खाण्डेकर (बी.कॉम. प्रथम वर्ष)
33 अशैक्षणिक स्टाफ के प्रतिनिधि :	श्री डी.के.शुक्ला (सहा.ग्रेड–01)

राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार समिति के साथ रैगिंग विरोधी स्कवाड एवं मोबाईल युनिट का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्न प्राध्यापक बनाये गये।

एण्टी रैंगिग स्कावड के सदस्य

- 17. डॉ. डी.आर.साहू प्राध्यापक
- 18. श्री बी.एल. मण्डलोई
- 19. डॉ. के.आर. मतावले सहायक प्राध्यापक

जे.एस. पैकरा सहायक प्राध्यापक

यूनिट हेतु निम्न प्राध्यापक मनोनीत किये गयें।

34. प्रो. डी.के.सिंह 35. श्रीमती नीता जौहर 36. श्री एम.बी. घोरे

बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को रैंगिग की बुराईयाँ बताकर सचेत किया जाये कि यदि कोई रैंगिग करता है तो तत्काल इसकी सूचना अनुशासन समिति के सदस्यों को दी जाये। क्योकि रैंगिग एक दण्डनीय अपराध है।

समिति के सदस्य नवीन प्रवेशित छात्र/छात्राओं से वरिष्ठ छात्र/छात्राओं से व्यवहार की जानकारी लेंगें। तथा अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। गैर– महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं के महाविद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाये।

महाविद्यालय में कार्यालय के समक्ष एक शिकायत पेटी लगाई जायेगी। इसे प्रति सप्ताह खोलकर शिकायत का निराकरण महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

छात्रसंध चुनाव के समय अनुशासन समिति के सदस्य विशेष रूप से सतर्कता वरतेगें। जिससे महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अवाछित घटना न घटें। तथा चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो सकें।

किसी भी प्रकार का भय या सताये जाने की स्थिति में छात्र / छात्राएं तत्काल महाविद्यालय की अनुशासन समिति से मिलकर उन्हे समस्या की जानकारी दें।

सत्र में महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता तथा रैंगिंग संबंधी घटना घटित नही हुई है। छात्र अनुशासित होकर अध्ययन में लगें रहें। छोटी—मोटी शिकायते एवं सुझाव शिकायत पेटी से प्राप्त होने पर उनका निराकरण महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया । छात्रसंघ चुनाव महाविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके सें सपन्न हुआ। तथा समिति के सदस्य लगातार निगरानी करते रहें। तथा कोई भी अवांछित घटना नही घटी।

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

अनुशासन एवं एण्टी रैंगिग समिति शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

प्रतिवेदन अनुशासन समिति सत्र् 2017–18

महाविद्यालय में दिनांक 06/09/2017 को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्रीमती एस.एम.तिमोथी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई जिसमें 2017–18 हेतु रैंगिंग की रोकथाम संबंधी एक समिति गठित की गई।

समिति के सदस्य रूप में शासन के निर्देशानुसार निम्न अधिकारियों , अभिभावकों, तथा छात्र–छात्राओं शामिल किया गया।

 पुलिस प्रतिनिधि 	-	थाना प्रभारी मस्तूरी
2. सिविल प्रशासन प्रतिनिधि	-	तहसीलदार मस्तूरी
3. मीडिया प्रतिनिधि	_	1. श्री ननकू साहू
		2. श्रीमती सुनीता मिश्रा
4. NGO प्रतिनिधि	_	श्री संजय गुप्ता
5. संकाय प्रतिनिधि	_	1. डॉ. डी.आर. साहू (विज्ञान)
		2. डॉ. श्रीमती राजेश चतुर्वेदी (कला) 3. डॉ. डी.के. सिंह (वाणिज्य)
6. पालक प्रतिनिधि	-	1. श्री संतोष गुप्ता
		2. श्री आर. पी. तिवारी
		3. श्री बैस राम साहू
7. वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रतिनिधि	_	1. कु. माधुरी गुप्ता (कला)
		2. राहुल राय (विज्ञान)
		3. कु. ममता राय (वाणिज्य)
8. नवीन विद्यार्थियों के प्रतिनिधि :	-	1. विवेक मुशरान (कला)
		2. गोविन्द यादव (विज्ञान)
		3. हीरा सिंह (वाणिज्य)
9. अशैक्षणिक स्टॉफ प्रतिनिधि :	_	श्री डी.के. शुक्ला

शासन के निर्देशानुसार छात्र—छात्राओं के बीच अनुशासन स्थापित करने तथा निगरानी बनाये रखने के लिए महाविद्यालय के अधिकारियों में से विभिन्न समितियों का गठन किया गया। रण्टी रैंगिंग स्कवाड के सदस्य

1. प्रो. बी.आर. खूंटे, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

2. डॉ.के. आर. मतावले, सहायक प्राध्यापक (भूगोल)

3. श्रीःनेवीन कुमार रेलवानी सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र)

श्रीमती कांति अंचल सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र)

5. श्रीमती नीता जौहर सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)

मोबाईल यूनिट के सदस्य

1. डॉ. श्रीमती किरण ठाकुर सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र)

2. श्री एल.के. निराला सहायक प्राध्यापक (भौतिकी शास्त्र)

3. श्री जे.एस. पैकरंा सहायक प्राध्यापक (भूगोल)

अनुशासन समिति ने बैठक के दौरान निर्णय लिया कि समिति के सभी सदस्य वर्ष भर महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए छात्र—छात्राओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे। समिति के माध्यम से नियमित छात्र—छात्राओं को हिदायत दी गई कि वे अपने साथ किसी भी अमहाविद्यालयीन छात्र को परिसर में साथ न लाये। वे स्वयं परिचय पत्र गले में धारण करें। कोई भी छात्र परिसर में यदि दुर्व्यवहार, प्रताड़ना या अमर्यादित व्यवहार का दोषी पाया गया तो उक्त छात्र के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। महाविद्यालय में छात्रों के लिए रैंगिंग संबंधी निर्देश तथा अनुशासन समिति के सदस्यों के , मोबाईल नंबर , थाना प्रभारी के मोबाईल नंबर फ्लैक्स के माध्यम से दीवालों तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया ताकि पीड़ित छात्र या छात्रा तूरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकें।

वर्ष के प्रारंभ में ही सभी नियमित छात्र—छात्राओं से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार ऑनलाईन अंडर टैंकिंग लिया गया, ताकि छात्र—छात्राओं की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण लगाई जा सके तथा परिसर में एक अच्छा शैक्षिक तथा अनुशासित माहौल बनाया जा सके । महाविद्यालय के हर कमरे में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया गया है। अपेक्षानुरूप महाविद्यालय में वर्ष भर छात्र—छात्राओं ने किसी भी अनुशासनहीन कार्यवाही में भाग नही लिया तथा शांतिपूर्ण माहौल बना रहा।

वर्ष भर की समिति की कार्यवाही आपकी ओर प्रेषित है।

अनुशासन समिति डॉ. श्रीमती दुर्गा वाजपेयी शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

अनुशासन समिति प्रतिवेदन

•1

सत्र 2018–19

दिनोंक 8.8.2018 को महाविद्यालय के प्राध्यापक कक्ष में अनुशासन समिति की एक आव यक बैठक आयोजित की गई । सत्र 2018—19 हेतु गठित समिति निम्नानुसार है :—

 पुलिस प्रतिनिधि 	– थाना प्रभारी मस्तूरी
2. सिविल प्रशासन प्रतिनिधि	–तहसीलदार मस्तूरी
3. मीडिया प्रतिनिधि	– श्री सूरज सिंह ठाकुर
	– श्रीमती सुनीता मिश्ना
	– श्री प्रमोद अवस्थी
4. एन.जी. ओ. प्रतिनिधि	– श्री बलीराम दिव्य
	– श्री सुरेश कुमार अनंत
5. संकाय प्रतिनिधि	– डॉ. डी.आर. साहू (विज्ञान)
	– डॉ. राजेश चतुर्वेदी (कला)
	– डॉ. डी. के. सिंह (वाणिज्य)
6. पालक प्रतिनिधि	– श्री टरेमन सोनी
	ं – श्री रामचंद साहू
	– श्री विमल गुप्ता
 वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि 	– श्री भाुभांशु राठौर (विज्ञान)
	– श्री ' ाुभम यादव्र, (वाणिज्य) ,
	– कु. फ़ूलकली सुमन (कला)
8. नवीन विद्यार्थी प्रतिनिधि	– कु. प्रियंका साहू (विज्ञान)
	– कु. पिंकी गुप्ता (वाणिज्य)
	– श्री आदित्य (कला)
9. अशैक्षणिक स्टाफ प्रतिनिधि	– श्री डी. के. शुक्ला (सहा. ग्रेड –1)
	– श्री बी. आर. खुंटे (सहा. प्राध्यापक)
-	– डॉ. के०आर. मतावले (सहा. प्राध्यापक)
	– प्रो. नवीन कुमार रेलवानी (सहा. प्राध्यापक)
	– डॉ. किरण ठाकुर (सहा. प्राध्यापक)
	– श्रीमती कांति अंचल (सहा. प्राध्यापक)
11. मोबाइल युनिट के सदस्य	– श्रीमती नीता जौहुर (सहा. प्राध्यापक)
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	-श्री एल. के. निराला (सहा. प्राध्यापक)
and the second se	

ठक में अनुशासन समिति के निम्न सदस्यों की सहमागिता रही ।

अनुशासन समिति के सदस्य – 1. डॉ. श्रीमती दुर्गाबाजपेयी (संयोजक)

2. डॉ. श्रीमती सुजाता सेम्युएल (सहा. प्राध्यापक)

3. डॉ. डी.के. सिह (सहा. प्राध्यापक)

4. डॉ. बी.एल. मण्डलोई (सहा. प्राध्यापक)

5. श्री बी.एस. राज(सहा. प्राध्यापक)

महाविद्यालय में अनुशासन बनायें रखनें हेतु वर्ष भर सदस्यों द्वारा निम्न प्रयास कियें :--

- समिति के सदस्य महाविद्यालय परिसर, में छात्र–छात्राओं के परिचय पत्र की निरंतर जांच करतें रहतें है। इस हेतु उन्हें गलें में पहननें वाला परिचय पत्र प्रदान किया जाता है ताकि उनकी पहचान हों सकें।
- 2. बाहरी छात्र–छात्राओं के आने पर प्रतिबंध लगाया जाता हैं ।
- परिसर में अनुशासन बनायें रखने हेतु छात्र—छात्राओं के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी आचरण संहिता तथा पोस्टर भी लगायें गयें है ताकि छात्र –छात्राओं को सख्त निर्देश कि जानकारी मिल सकें।
- 4. परिसर में थाना प्रभारी मस्तूरी एस.पी बिलासपुर तथा अनुशासन समिति के सदस्यों के मोबाइल नंबर लगाये गये हैं तथा छात्र–छात्राओं को निर्देश दिये गये हैं कि आपात स्थिति में आप इन नंबरों पर संपर्क करे ।

दिनांक 18.01.2019 को सभी सम्माननीय सदस्यों को भी आंमत्रित किया गया ताकि उनके सुझाव भी लिये जा सके ।

समिति के सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दियें गये।

- 1. एन.जी.ओ. प्रतिनिधि श्री बलीराम दिव्य ने सुझाव दिया कि कक्षाओं में छात्र-
- छात्राओं की उपस्थिति भात–प्रतिशत रहे ,इस हेतु छात्र–छ।त्राओं के पालकों से भी संपर्क किया जाये।
- 2. कला संकाय प्रतिनिधि डॉ. श्रीमती राजेश चतुर्वेदी ने सुझाव दिया कि प्रवेश के समय छात्र –छात्राओं से पता लिखा दो पोस्ट कार्ड लिया जाये ताकि आव यक्ता पडने पर छात्र–छात्राओं की गतिविधियों से अभिभावको को अवगत कराया जा सके सभी सदस्यों ने महाविद्यालय की अनुशारान व्यवस्था पर संतोश

भी व्यक्त किया। वर्ष भर महाविद्यालय में अनुशासन समिति के सदस्यों के प्रयासों से अनुशासन हीनता या रैगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं आई ।

अतः सूचानाथ प्राषत हा

अनुशासन प्रमिति (संयोजक) डॉ. (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय गस्तूरी जिला– बिलासपुर

अनुशासन समिति का प्रतिवेदन

सत्र 2019-20

महाविद्यालय में दिनांक 10.09.2019 को प्राचार्य डॉ0 श्रीमती मंजु त्रिपाठी की अध्यक्षता में अनुशासन समिति एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई । जिसमें सत्र 2019—20 हेतु रैगिंग की रोकथाम संबंधी एक समिति गठित की गई ।

समिति के सदस्य के रूप में शासन के निर्देशानुसार निम्न अधिकारियों ,अभिभावकों तथा छात्र—छात्राओं को शामिल किया गया।

सत्र 2019–20 हेतु गठित समिति निम्नानुसार है :--

1. पुलिस प्रतिनिधि – थाना प्रभारी मस्तूरी

2. सिविल प्रशासन प्रतिनिधि -- तहसीलदार मस्तूरी

 मीडिया प्रतिनिधि – श्री सूरज ठाकुर – श्री रघु यादव

4. एन.जी. ओ. प्रतिनिधि – श्री बलीराम दिव्य

– श्रीमती गायत्री सुमन

5. संकाय प्रतिनिधि – डॉ. डी.आर. साहू (विज्ञान)

– डॉ. राजेश चतुर्वेदी (कला)

–डॉ. डी. के. सिह (वाणिज्य)

पालक प्रतिनिधि – श्री टरेमन सोनी

– श्री चितरंजन कुमार राठौर

– श्री जदुनंदन

7. वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि - श्री लाला आडिल

– श्री अभिषेक मौर्य

– श्री रविशंकर

– श्री टुमन

8. नवीन विद्यार्थी प्रतिनिधि – कु. रीति राठौर

– कु. पूजा मधुकर

–कु. उगेश्वरी

9. अशैक्षणिक स्टाफ प्रतिनिधि – श्री डी. के. शुक्ला (सहा. ग्रेड –1)

– श्रीमती प्रतिभा परिहार (सहा. ग्रेड –2)

शासन के निर्देशानुसार छात्र—छात्राओं के बीच अनुशासन स्थापित करने तथा निगरानी बनाये रखने के लिए महाविद्यालय के अधिकारियों में से विभिन्न समितिओं का गठन किया गया।

10. एण्टी रैगिंग स्क्वाड के सदस्य – श्री बी. आर. खुंटे (सहा. प्राध्यापक) – डॉ. के०आर. मतावले (सहा. प्राध्यापक) – प्रो. नवीन कुगार रेलवानी (सहा. प्राध्यापक) –डॉ. किरण टाकुर (सहा. प्राध्यापक)

– श्रीमती कांति अंचल (सहा. प्राध्यापक)

, \11. मोबाइल युनिट के सदस्य – श्रीमती नीता जौहर (सहा. प्राध्यापक) -श्री एल. के. निराला (सहा. प्राध्यापक)

अनुशासन समिति ने बैठक के दौरान निर्णय लिये कि समिति के सभी सदस्य वर्ष भर महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए छात्र-छात्राओं पर कडी निगरानी रखेगें । महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्रायें प्रतिदिन प्रवेश पत्र पहनकर आये जिससे बाहरी छात्रों की पहचान की जा सके महाविद्यालय के मुख्य गेट पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की गई । जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति के आने पर उसका मोबाइल नं. आदि नोट करने की व्यवस्था की गई । छात्र–छात्राओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उन्हे आचरण संहिता से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई कि कौन कौन से व्यवहार रैगिंग की श्रेणी में आते है।अनुशासन समिति में बाहर के मनोनीत सदस्यों से भी उनके विचार तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 7.2.2020 को महाविद्यालय में बैठक आयोजित की गई ।

समिति के सदस्यों को अनुशासन स्थापित करने के लिए किये गये प्रयासों से

अवगत कराया गया । समिति के सदस्यों ने भी अनुशासन हेतु अपने कुछ सुझाव दिये । 1. एन.जी.ओ. प्रतिनिधि श्रीमती गायत्री सुमन ने छात्र –छात्राओं को स्वयं अपने

प्रयास से ड्रेस कोड लागू करने का सुझाव दिया

2. छात्र रविशंकर ने गेट में आई कार्ड को कडाई से चेक करने का सुझाव दिया। ताकि बाहरी छात्र –छात्राओं का प्रवेश रोका जा सकें । सभी सदस्यों ने महाविद्यालय के अनुशासन व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया ।

वर्ष भर की समिति की कार्यवाही आपकी ओर प्रेषित है।

अनुशासन समिति (संयोजक) डॉ. (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला– बिलासपुर

अनुशासन समिति प्रतिवेदन

सत्र 2020-21


कोविड19 के संक्रमण के मद्देनजर शासन के निर्देशानुसार छात्र—छात्राओं की कक्षायें सत्र के शुरूआत में आनलाइन चली जनवरी—फरवरी में शासन ने आफलाइन तथा आनलाइन कक्षाये संचालित करने का निर्देश दिया। जिसमें छात्रों की उपस्थिति काफी कम रही। शासन के निर्देशों की ध्यान में रखने हुए वर्ष भर अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन नही हो सका । महाविद्यालय में इस सत्र में किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता का समस्या नही आई । सूचनार्थ प्रेषित है।


अनुशासमें/समिति (संयोजक) डॉ. (श्रीमती) दुर्गा बाजपेयी शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला– बिलासपुर

GGØVPA


Marstovia Diastr-B

Notification at the entrance of the main Building of govt. Pataleshwar college Masturi






CCTV CAMERA INSTALLATION AND MONITORING IN GOVT. PATALESHWAR COLLEGE MASTURI





Sanitary Pad Wending Machine



Girls Right Programs



Sukanya Samriddhi Yojana













